फर्द–अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

प्रार्थी...... उदयसिंह ...... विपक्षी...... देवीसिंह ......

केस्म मुकदमा...... ग्रा.प्र ...... पत्रावली संख्या...... 234/21 ......सन......

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी/गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
31/8/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप./उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/✓भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम दिनांक 16/10/23 को पेश हो।	(हस्ताक्षर)
	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। बदस्तूर रहे। प्रकरण में विपक्षी सं. 4 से 6 को सूचना-पत्र जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/23	वादी उदय सिंह व राम सिंह व प्रतिवादी देवी सिंह उपस्थित है। अधिवक्ता पक्षों भी उपस्थित है। वादी उदय सिंह व राम सिंह ने कथन किया की अब हमें रास्ते की आवश्यकता नहीं है। रास्ता मौके पर निकाल दिया [illegible] प्रतिवादी [illegible] निकाल दिया है। अब [illegible] नहीं चलाना चाहते हैं। न तो अगर न्यायालय रास्ता देता है, तो जो भी राशि तय की जावेगी वह जमा करवा सकते हैं। अन्य	रामसिंह (वादी सं. 2) उदयसिंह (वादी सं. 1) देवीसिंह (प्रति सं. 1)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:42:34 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	प्रार्थी हमारे भाई बहन हैं जिनकी सहमति हमने ले ली है। अतः क्योंकि हम अब प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते इसलिये इसे इसी स्तर पर नोटिस किया जावे। क्योंकि प्रार्थना पत्र से रास्ता चाहा गया था, व अब प्रार्थियों को रिकार्ड रास्ता की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्कल के [illegible] जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:42:34 IST
Reason: SelfAttested